BPSM-162 भारतीय शासन और राजनीति (INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS)

(शिक्षक मूल्यांकित सत्रीय कार्य / TUTOR MARKED ASSIGNMENTS)

सत्रीय कार्य कोड (Assignment Code): BPSM-162/ASST/TMA/2026-2027

अंक (Marks): 100

तीनों सत्रीय कार्यों से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उन्हें एक साथ जमा कीजिए।

सत्रीय कार्य - I

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

1. मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) और राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) के बीच संबंध की समालोचना कीजिए। ये दोनों प्रावधान मिलकर किस प्रकार न्याय, स्वतंत्रता और समानता के संवैधानिक लक्ष्यों को स्थापित करते हैं?

2. भारत की दलीय व्यवस्था में कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर से प्रतिस्पर्धी बहुदलीय व्यवस्था तक हुए परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। इस परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं?

सत्रीय कार्य - II

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

3. भारत की संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के संबंध का परीक्षण कीजिए। कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है?

4. जाति, वर्ग और जनजाति भारत में राजनीतिक लामबंदी (Political Mobilisation) और प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करते हैं? चर्चा कीजिए।

5. धर्मनिरपेक्षता (Secularism) और सांप्रदायिकता (Communalism) की अवधारणाओं को समझाइये। इनके बीच का तनाव भारत की लोकतांत्रिक राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है?

सत्रीय कार्य - III

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है।

6. भारतीय राजनीति के अध्ययन के संदर्भ में गांधीवादी दृष्टिकोण (Gandhian Approach) की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

7. मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) से क्या अभिप्राय है?

8. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

9. भारत में, जेंडर (Gender) की अवधारणा को एक सामाजिक और राजनीतिक श्रेणी के रूप में कैसे समझा जा सकता है?

10. भारतीय राजनीति में श्रमिकों और किसानों की क्या भूमिका है?

1. मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) के बीच संबंध की समालोचना कीजिए। ये दोनों प्रावधान मिलकर किस प्रकार न्याय, स्वतंत्रता और समानता के संवैधानिक लक्ष्यों को स्थापित करते हैं?

उत्तर

भारतीय संविधान केवल राजनीतिक शासन की व्यवस्था नहीं करता, बल्कि ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जिसमें व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक न्याय तथा समान अवसर सुरक्षित हों। इस उद्देश्य के लिए संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार और भाग IV में राज्य के नीति-निर्देशक तत्व दिए गए हैं। दोनों की कानूनी स्थिति अलग है, किंतु इनका नैतिक और संवैधानिक लक्ष्य एक-दूसरे का पूरक है। मौलिक अधिकार नागरिक को राज्य की मनमानी से बचाते हैं, जबकि नीति-निर्देशक तत्व राज्य को न्यायपूर्ण समाज बनाने की सकारात्मक दिशा देते हैं।

मौलिक अधिकारों का स्वरूप और महत्व

अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार का आधार हैं। अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, संगठन तथा अन्य स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है; अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय अधिकार हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर नागरिक सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार अधिकार राज्यसत्ता पर संवैधानिक सीमाएँ निर्धारित करते हैं तथा बहुमत की राजनीति के बीच व्यक्ति और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देते हैं।

नीति-निर्देशक तत्वों का सामाजिक उद्देश्य

अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय स्थापित करने का मार्गदर्शन मिलता है। अनुच्छेद 38 असमानताओं को घटाने, अनुच्छेद 39 आजीविका के पर्याप्त साधन